

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0 एफ.4(16)दिशा-निर्देश/विधि/पंरा/2016/07


जयपुर, दिनांक: 04-1-18

ज़िला कलेक्टर,
समस्त ।

विषय:-रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण बाबत ।
प्रसंग:-राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 10.8.2016 ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा आपको रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जाकर, यह निर्देशित किया गया था कि जिलों में इस तरह की कोई समस्या लम्बित एवं शेष नहीं रहे। इस सम्बन्ध में सरपंच संघ राजस्थान द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर यह मांग की गई है कि राजस्व विभाग के प्रासंगिक परिपत्र की पालना करवाई जाकर प्रचलित रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अपने जिले में वांछित कार्रवाई करवाया जाना सुनिश्चित करें।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज ।
2. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।


उप शासन सचिव(विधि)